Skill Development Programme

For Answer Writing

International Relation (Model Answer)

DATE : 19-June-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- 'परमाणु जन उत्तरदायित्व कानून' के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसकी समस्याओं का विश्लेषण कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain the provisions of 'Civil Nuclear Liability Law' and also analyze its problems.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- पिछले वर्षों में भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ नाभिकीय समझौता किया गया है जिससे उपकरण, ईंधन, तकनीक प्राप्त की जा रही है, ऐसी स्थिति में नाभिकीय संयंत्रों पर दुर्घटना हो सकती है। चूंकि भारत NPT व CTBT का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत पर पेरिस तथा वियना समझौता लागू नहीं होता। अत: उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए परमाणु जन उत्तरदायित्व कानून बनाया गया।

प्रावधान-

- इस कानून में नाभिकीय क्षति होने पर संचालक को 1500 करोड़ का जुर्माना देना होगा। अगर क्षतिपूर्ति अपर्याप्त होती है, तो सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं आर्थिक सहायता कर सकती है।
- क्षतिपूर्ति के दावे का पहला निर्णय आवेदन के 3 माह के भीतर आ जाएगा और दुर्घटना के 10 वर्ष के भीतर क्षतिपूर्ति पूर्णत: प्रदान कर दी जाएगी।
- समस्या समाधान के लिए परमाणु क्षति आयोग का गठन किया जाएगा। क्षतिपूर्ति राशि के पुनरावलोकन के लिए दुर्घटना के शिकार व्यक्ति अथवा अन्य पक्ष उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई 10 वर्ष के भीतर अवश्य हो जानी चाहिए।

समस्या-

- परमाणु ऑपरेटर को काफी बड़ी मात्रा में बीमा करवाना होगा, जिसके कारण विद्युत उत्पादन व्यय बढ़ेगा और विद्युत मंहगी होगी। हाल ही में कुंडनकुलम में देखने को मिली।
- इस कानून में ऑपरेटर की गलतियों को पूर्णत: परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में समस्या का निदान में पुन: समस्या आएगी। जैसे- प्राकृतिक आपदा के समय।
- इस कानून से नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी कम्पनियों को भागीदारी देने में समस्या आएगी, क्योंकि यह कानून मुख्यत: सरकारी क्षेत्र से संबंधित है।

निष्कर्ष-

- भारत एक व्यापक जनसंख्या वाला विकासशील देश है और परमाणु के प्रतिकूल प्रभाव जनसांख्यिकीय होगें। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आधुनिक विचारों के अनुसार जरूरी हर विषय से संबंधित है, जैसे कि परमाणु क्षति की व्यापक परिभाषा, व्यापक क्षेत्राधिकार और पर्याप्त मुआवजे सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान होगा। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह कानून नाभिकीय क्षेत्र को सुरक्षित करने में मददगार है।

* * *